

श्रीमान जी भुवाबिजा नामा. से 2688 दिनांक 22/10/24 के स्वतैदार का सभी स्वतै में नाम शान्ति पति रामेश्वर दर्ज है जब की पूर्व में नामा. सं. 2244 दिनांक 08/09/22 में स्वतैदार का नाम खाता नं. 175 व 1037 में त्रुटीवश गन्ता पति रामेश्वर दर्ज हो गया। सब. खाता नं. 175 व 1037 में गन्ता का नाम शुद्ध कर शान्ति पति रामेश्वर दर्ज किया जाना उचित होगा

श्रीमान जी, भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में शान्ति पति रामेश्वर दर्ज किया जाता उचित होगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट प. 80 की रिपोर्ट व 2-30 गि की जांच के आधार पर दुरुस्ती की आशंका की जाती है।

2025
796

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक / 465

दिनांक:- 29-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नन्दल तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2070-72 के खाता संख्या 175, 1037 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	गन्ता देवी w/o रामेश्वर पति जाति-महाजन शेष बंद 2	उपरोक्त स्वता सं. में वर्णित अकमल		शान्ति पति रामेश्वर जाति-महाजन शेष बंद 2	उपरोक्त स्वता सं. में वर्णित 313 माल	

क्रमांक:- 5893-94 दिनांक:- 29-10-25

उत्तिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को
2. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर

